अध्याय-I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व और वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका-1.1** में नीचे दर्शाये गए हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	25,918.69	26,603.90	30,225.16	31,139.89	35,717.02
	गैर-कर राजस्व	659.14	632.55	515.40	380.69	766.06
	कुल	**26,577.83**	**27,236.45**	**30,740.56**	**31,520.58**	**36,483.08**
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	सहायता अनुदान	1,402.86	2,348.14	4,258.29	2,825.16	2,184.19
3	रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	**27,980.69**	**29,584.59**	**34,998.85**	**34,345.74**	**38,667.27**
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	**95**	**92**	**88**	**92**	**94**

स्रोतः वित्त लेखे

2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट- 1.1

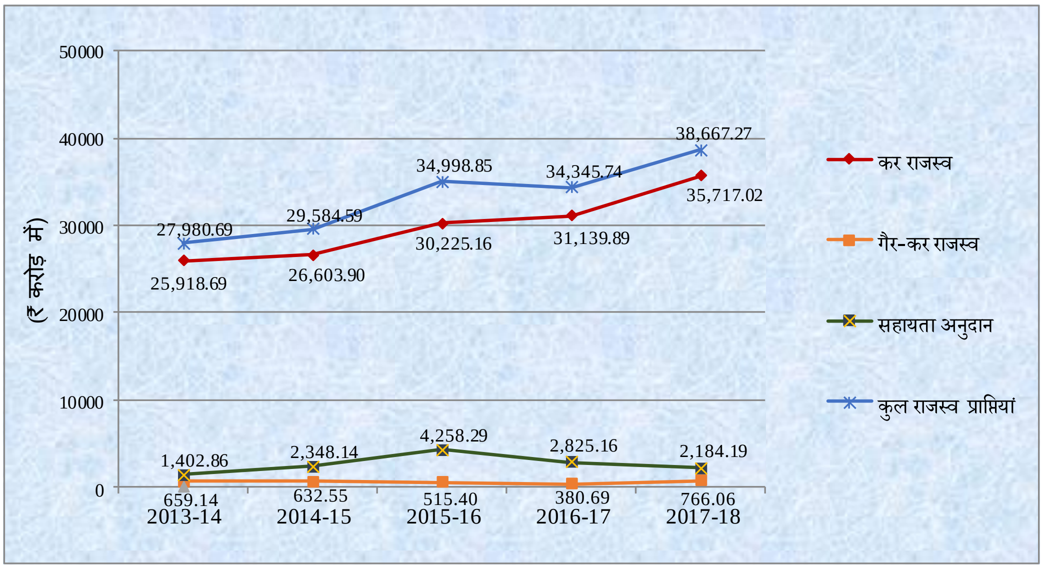

वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा ₹ 36,483.08 करोड़ का राजस्व उत्थित किया गया जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 94 *प्रतिशत* था।

2017-18 के दौरान प्राप्तियां का शेष छः *प्रतिशत* भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान था।

1.1.1.2 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2: उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14 (कुल कर राजस्व का प्रतिशत)	2014-15 (कुल कर राजस्व का प्रतिशत)	2015-16 (कुल कर राजस्व का प्रतिशत)	2016-17 (कुल कर राजस्व का प्रतिशत)	2017-18 (कुल कर राजस्व का प्रतिशत)	2016-17 की अपेक्षा 2017-18 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	-	-	-	13,620.84 (38.14%)	17.15
2	बिक्री कर	17,925.71 (69.16%)	18,289.31 (68.75%)	20,245.82 (66.98%)	21,144.24 (67.90%)	11,149.17 (31.21%)	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	3,151.63 (12.16%)	3,422.39 (12.86%)	4,237.69 (14.02%)	4,251.40 (13.65%)	4,453.49 (12.47%)	4.75
4	स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,969.07 (11.46%)	2,779.88 (10.45%)	3,433.60 (11.36%)	3,143.93 (10.10%)	4,117.07 (11.53%)	30.95
5	वाहनों पर कर	1,409.27 (5.43%)	1,558.83 (5.86%)	1,607.01 (5.32%)	1,808.78 (5.81%)	2,115.76 (5.92%)	16.97
6	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	463.00 (1.79%)	491.70 (1.85%)	700.53 (2.32%)	789.53 (2.53%)	259.18 (0.73%)	-67.17
7	भू-राजस्व	0.01 (0.00004%)	61.79 (0.23%)	0.51 (0.002%)	2.01 (0.01%)	1.51 (0.004%)	-24.88
कुल		**25,918.69**	**26,603.90**	**30,225.16**	**31,139.89**	**35,717.02**	

स्रोतः वित्त लेखे

विभिन्न कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-1.2

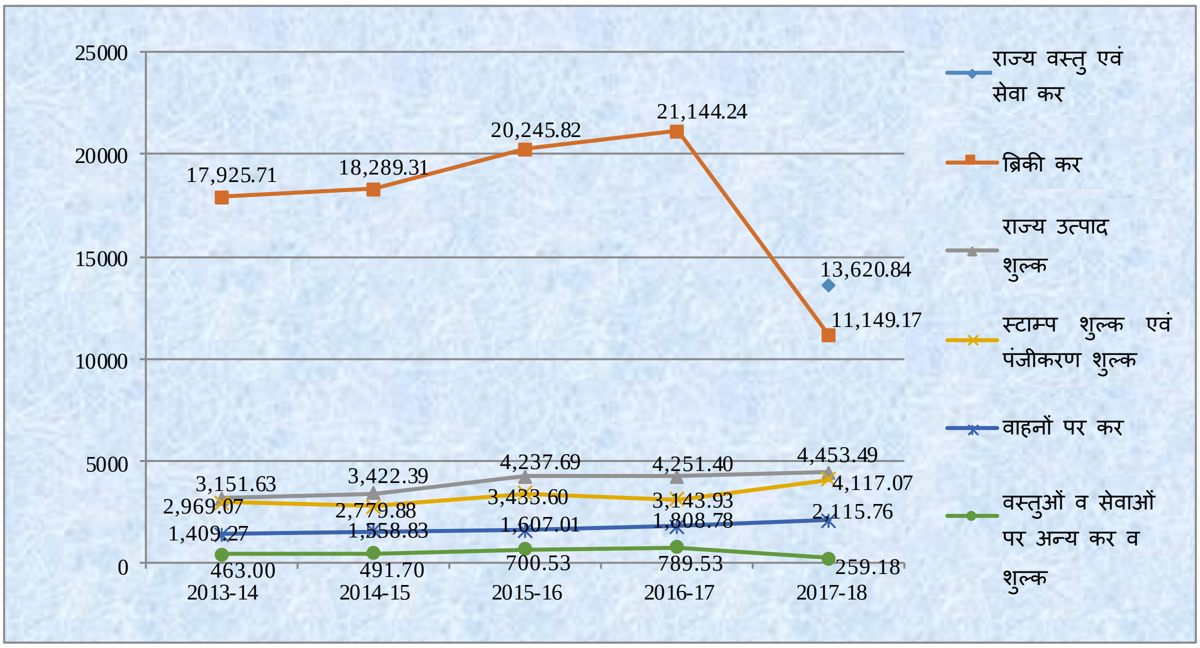

रा.रा.क्षे. दिल्ली की समग्र वास्तविक कर प्राप्ति एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है जो वर्ष 2013-14 में ₹ 25,918.69 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 35,717.02 करोड़ हो गई। रा.रा.क्षे.दि.स. ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की शुरूआत की और यह मूल्य वर्धित कर (वैट) के स्थान पर जुलाई 2017 से लागू हुआ। **एसजीएसटी शीर्ष के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 14,600.00 करोड़ के बजट अनुमान (बीई) के प्रति वास्तविक प्राप्ति ₹ 13,620.84 करोड़ थी।** राजस्व प्राप्ति में प्रमुख योगदान बिक्री कर/एसजीएसटी का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में 17.15 *प्रतिशत* बढ़ा है। **वर्ष 2017-18 में 'स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क' और 'वाहनों पर कर' शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक प्राप्तियां क्रमशः 30.95 *प्रतिशत* और 16.97 *प्रतिशत* बढ़ीं, जबकि 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क' शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 67.17 *प्रतिशत* की कमी हुई।** संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारणों की सूचना दी:

व्यापार एवं कर विभाग

व्यापार एवं कर विभाग ने बताया कि जीएसटी प्रणाली और वैट प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं के कर की दर में अंतर के कारण कर प्राप्तियां बढ़ीं। ऑटोमोबाइल, इलैक्ट्रॉनिक आइटम, शीतल पेय, पेंट, पेयजल आदि जैसी वस्तुओं पर डीवैट अधिनियम के तहत 12.5 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाता था, जबकि ये वस्तुएँ अब जीएसटी के तहत 18 या 28 *प्रतिशत* की दर से कर योग्य है।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग ने बताया कि 2017-18 के दौरान 'वाहनों पर कर' शीर्ष के अंतर्गत कर प्राप्ति में हुई वृद्धि का कारण:

(i) वाहनों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि

(ii) डीजल वाहनों के पंजीकरण पर एक्स-शोरुम मूल्य का एक *प्रतिशत* का 'ग्रीन टैक्स' लगाना

(iii) ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में दरों का संशोधन शुल्क ₹ 300 प्रति लाइसेंस से ₹ 1,350 प्रति लाइसेंस होना।

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग ने बताया कि 2017-18 के दौरान 'स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क' शीर्ष के अंतर्गत कर प्राप्तियों में वृद्धि दस्तावेजों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान, पंजीकृत किए गए दस्तावेजों का मूल्य ₹ 2,237.10 करोड़ था, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत किए गए दस्तावेजों का मूल्य ₹ 3,211.46 करोड़ था।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

विभाग ने बताया कि 2017-18 के दौरान प्राप्तियों में कमी 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के कारण थी। कर जैसे मनोरंजन, विलासिता, केबल एवं बैटिंग कर पहले इस शीर्ष के अंतर्गत थे, जो अब जीएसटी में सम्मिलित हो गए तथा तदनुसार वर्ष 2017-18 में इस शीर्ष के अंतर्गत कम प्राप्तियां थी तथा मनोरंजन, विलासिता, केबल एवं बैटिंग पर कर की प्राप्तियां 01 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी के अंतर्गत आ गया।

भू राजस्व

भूमि और भवन विभाग, भू राजस्व का नियमित संग्राहक नहीं है। अक्तूबर 2013 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ₹ 2.48 करोड़ देने का अधिनिर्णय देते हुए आदेश पास किया। उपरोक्त आदेश की अनुपालना में 2016-17 तथा 2017-18 में क्रमशः ₹ 2.00 करोड़ तथा ₹ 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

1.1.1.3 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में दिखाया है।

तालिका-1.3: उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में वास्तविक वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1	ब्याज प्राप्तियां	379.35	350.52	82.53	81.39	396.25	386.85
2	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	63.05	58.20	125.88	60.13	89.08	48.15
3	लोक निर्माण	18.59	14.74	18.47	22.23	14.34	-35.49
4	पॉवर	18.46	16.38	42.06	21.40	26.25	22.66
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	91.04	98.91	89.43	111.33	99.88	-10.28
6	अन्य[1] गैर-कर प्राप्तियां	88.65	93.79	157.03	84.21	140.26	66.56
कुल		**659.14**	**632.54**	**515.40**	**380.69**	**766.06**	

स्रोतः वित्त लेखे

[1] लाभांश और लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रचार, श्रम और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, फसल कृषि व्यवस्था, पशु पालन, मत्स्य पालन, वन और वन्य जीवन, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, पर्यटन, नागरिक आपूर्ति, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं।

चार्ट-1.3 में विभिन्न गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृति दर्शाई गई है:

चार्ट-1.3

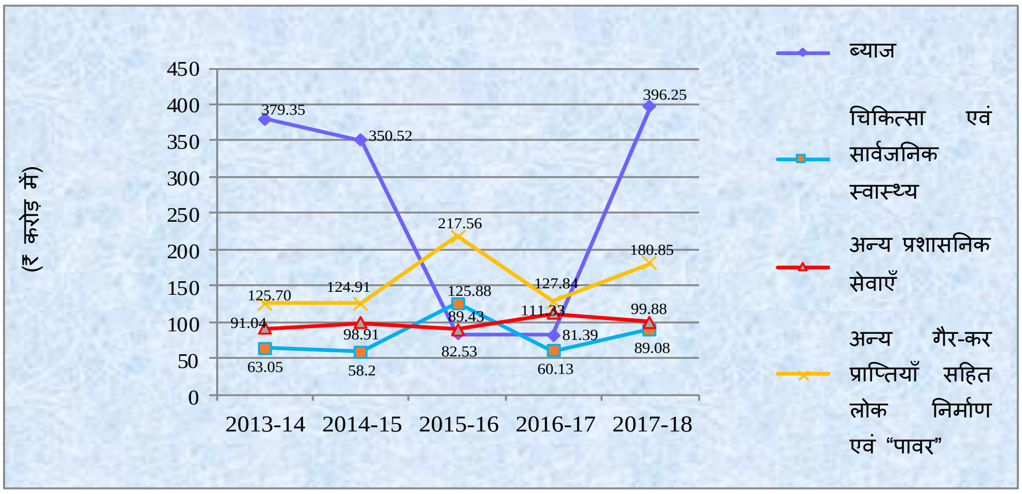

राज्य का वास्तविक गैर-कर राजस्व 2013-14 में ₹ 659.14 करोड़ से 2016-17 में ₹ 380.69 करोड़ की घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई और फिर 2017-18 में ₹ 766.06 करोड़ तक बढ़ा। **गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'ब्याज प्राप्तियों' से था, जो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 314.86 करोड़ (386.85 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि हुई।**

वर्ष 2017-18 के लिए शीर्ष 'चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य' और 'पॉवर' के अतंर्गत राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 48.15 *प्रतिशत* और 22.66 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि शीर्ष 'लोक निर्माण' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में क्रमशः 35.49 *प्रतिशत* और 10.28 *प्रतिशत* तक की कमी आई। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

ब्याज प्राप्तियां

सरकार ने बताया कि 2017-18 के दौरान "ब्याज प्राप्तियां" शीर्ष के अंतर्गत गैर-कर राजस्व में वृद्धि, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए ऋण पर ब्याज ₹ 332.27 करोड़ के बकाया भुगतान के कारण थी।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि शहरी स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य से प्राप्तियों की अधिक वसूली के कारण थी।

लोक निर्माण कार्य

2017-18 में 'लोक निर्माण कार्य' के अंतर्गत राजस्व में कमी कार्यालय भवनों से प्राप्ति की कम वसूली के कारण थी।

पॉवर

राजस्व में वृद्धि वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 2.10 करोड़ की बकाया वार्षिक लाइसेंस फीस की प्राप्तियां तथा वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 2.10 करोड़ के अग्रिम लाइसेंस फीस के कारण थी।

अन्य गैर-कर प्राप्तियां

इस शीर्ष के अंतर्गत मुख्य प्राप्तियां लाभाँश तथा लाभ, शहरी विकास तथा श्रम व रोजगार विभाग से प्राप्तियां थी:

(i) पिछले वर्ष ₹ 11.28 करोड़ प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान लाभाँश तथा लाभ के अंतर्गत ₹ 15.91 करोड़ की प्राप्तियां हुई।

(ii) पिछले वर्ष 'शून्य' प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान शहरी विकास विभाग से ₹ 32.23 करोड़ की प्राप्तियां हुई।

(iii) पिछले वर्ष ₹ 8.82 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में 'श्रम रोजगार' विभाग की प्राप्तियां वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर ₹ 20.79 करोड़ हो गई।

सरकार को उचित कारवाई करने के लिए 'लोक निर्माण' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के अंतर्गत राजस्व में महत्वपूर्ण कमी के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक ₹ 33,036.82 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 10,870.14 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		31 मार्च 2018 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2018 तक पाँच वर्षों से अधिक समय की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	डीएसटी तथा सीएसटी (डीएसटी प्रणाली)	7,069.14	7,069.14	विभाग से अनुरोध किया गया था कि उस स्तर को बतायें जिस पर बकाया राशि लंबित है, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ
		डीवैट एवं सीएसटी (डीवैट प्रणाली)	25,941.00	3,801.00	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर		26.68	0	लाइसेंस शुल्क, बकाया माँग
	कुल		**33,036.82**	**10,870.14**	

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर

डीएसटी प्रणाली से संबंधित ₹ 7,069.14 करोड़ और डीवैट प्रणाली के ₹ 3,801.00 करोड़ पाँच साल से अधिक समय तक वसूल नहीं किए जा सके, जो दर्शाता है कि विभाग ने इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इसके अलावा, 31 मार्च 2017 को वैट का बकाया ₹ 19,626.00 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 को ₹ 25,941.00 करोड़ हो गया।

विभाग को विश्लेषण, समीक्षा और तैयारी की योजना बनानी चाहिए और इन बकाए राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग और व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित इकाई/मामलों, निर्धारण हेतु बकाया होने वाले इकाई/मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए इकाई/मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित इकाई/मामलों की संख्या का विवरण **तालिका-1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5: कर निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	इकाइयों/मामलों के प्रारंभिक शेष	2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित नए इकाईयाँ/मामले	कुल निर्धारण बकाया	2017-18 के दौरान निपटान किए गए इकाईयाँ/मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	2,515	15	2,530	1,632	898	64.50
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0	2,82,919	2,82,919	2,82,919	0	100

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

निर्धारण इकाइयों के निपटान की प्रतिशतता राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 64.50 *प्रतिशत* थी, जबकि डीटीटी के संबंध में कोई निर्धारण लंबित नहीं था।

1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2017-18 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (डीटीटी) ने खोज तथा जब्त के आधार पर 187 मामलों का पता लगाया तथा ₹ 2.35 करोड़ की माँग उत्थित की, जिसकी वसूली भी कर ली गई।

1.1.5 कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण

विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2017-18 के

अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, को **तालिका-1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.6: कर वापसी मामलों के लंबन का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		मनोरंजन कर		स्टॉम्प एवं पंजीकरण		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	83,558	2,647.65	216	8.25	257	11.42	**शून्य**	**शून्य**
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	41,835	1,224.52	77	1.01	495	18.71	72	1.64
3	कुल दावे	1,25,393	3,872.17	293	9.26	752	30.13	72	1.64
4	वर्ष के दौरान की गई कर वापसियाँ	71,267	1,488.72	73	6.67	231	8.02	72	1.64
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	56.83	38.45	24.91	72.03	30.72	26.62	100	100
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	54,126	2383.44	220	2.59	521	22.11	शून्य	शून्य

डीवैट अधिनियम 2004, के अंतर्गत यदि अधिक प्राप्त राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। निर्धारित अवधि के अंदर दावों की वापसियाँ न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि विभाग द्वारा वापसियों पर ब्याज का भुगतान मुहैया नहीं किया गया।

1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (प्र.म.ले.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देन की नमूना जांच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा अनुसरण होता है। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार से नि.प्र. में दर्शायी गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2018 तक उनकी स्थिति **परिशिष्ट-1.1.1** में दर्शायी गई है।

वर्ष 2008-09 में ₹ 1,758.51 करोड़ राशि के 2,645 लंबित पैरे बढ़कर वर्ष 2017-18 में 9,530 हो गए जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 7,135.11 करोड़ था जिससे यह प्रतीत होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों के निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

जवाब प्राप्त न होने के कारण अत्याधिक लंबन इस तथ्य का संकेत है कि विभागों तथा कार्यालयों के अध्यक्ष ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं, दोष तथा चूकों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विशेष कार्रवाई का अभाव जवाब देयता को कमजोर करता है तथा राजस्व की परिहार्य हानि का जोखिम बढ़ाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि, सरकार का ध्यान नियमित निगरानी के लिए प्रभावी क्रियाविधि तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान तथा अनुपालन की समीक्षा की सुनिश्चितता की ओर आकर्षित करता है।

1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। जून 2017 में व्यापार एवं कर विभाग द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में, अपर आयुक्त को बकाया पैरों के शीघ्र निपटान के लिए उनके उत्तर प्रदान करने के लिए कहा गया। अपर आयुक्त ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि, परिवहन, राज्य उत्पाद शुल्क और राजस्व विभाग द्वारा किसी भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया।

1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक माह पूर्व विभागों को सूचनाएँ जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखने में सक्षम हो सके।

व्यापारियों के प्राथमिक अभिलेख, विभाग की डीवैट प्रणाली में उपलब्ध थे, हालांकि, कुछ मामलों में इन अभिलेखों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। **लेखापरीक्षा ने गहन जांच के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 4,921 व्यापारियों के भौतिक अभिलेख की माँग प्रस्तुत की, लेकिन विभाग ने केवल 1,624**

(33 *प्रतिशत*) व्यापारियों के अभिलेख प्रदान किए। परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को निश्चित रूप से जाना नहीं जा सका। मनोरंजन, उत्पाद तथा विलासिता कर, राजस्व तथा मोटर वाहन विभाग ने 100 प्रतिशत अभिलेख उपलब्ध करवाया।

1.1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करें तथा उन पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चार महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने चाहिए। हालांकि, प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में हुई विलंब के संदर्भ में 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 16 पैराग्राफों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) को राज्य विधान सभा के समक्ष अगस्त 2014 से अप्रैल, 2018 के बीच प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में ए.टी.एन. छः माह की औसत विलंब से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 15 पैराग्राफों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी.ए.) से संबंधित ए.टी.एन. विभाग से प्राप्त नहीं हुए जैसा कि **तालिका-1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा ए.टी.एन. का विवरण

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	**2013**	2+1 (पीए)	2+1 (पीए)
2.	**2014**	3+0 (पीए)	3+0 (पीए)
3.	**2015**	0+1 (पीए)	0+1 (पीए)
4.	**2016**	4+0 (पीए)	4+0 (पीए)
5.	**2017**	7+0 (पीए)	6+0 (पीए)
कुल		**16+2 (पीए)**	**15+2(पीए)**

लोक लेखा समिति ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों/पीए पर चर्चा नहीं की।

1.1.7 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को **परिशिष्ट-1.1.2** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2007-08 से 2016-17 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,294.75 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल थी, जिसमें से ₹ 370.06 करोड़ की धनराशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। **हालांकि केवल ₹ 2.03 करोड़ (0.55 *प्रतिशत*) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई जो की नगण्य थी। यह भी देखा गया कि 2017-18 में की गई वसूली शून्य थी।**

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली के अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

1.1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा की पिछली प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य तथा केन्द्र) कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कवरेज तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 153 इकाइयाँ थी, जिनमें से 91 इकाईयों की लेखापरीक्षा के लिए योजना बनायी गई जबकि 70 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा दलों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों के निपटान, विषयगत लेखापरीक्षा के दिशा निर्देशों को तैयार करने के कार्य एवं लेखापरीक्षित इकाइयों के कार्य दिवसों में वृद्धि के कारण शेष 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

1.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.9.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद, परिवहन तथा राजस्व विभाग के 153 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों (वैट 115, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन-19, एमवीटी-16, राज्य उत्पाद -3) में से 70 इकाइयों (वैट-48, एमवीटी-06, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन-12, राज्य उत्पाद-02 तथा व्यय यूनिट-02) के ₹ 27,129.71 करोड़ की निहित राजस्व प्राप्तियों[2] के रिकॉर्डो की नमूना जांच से 500 पैराग्राफों में शामिल ₹ 1,701.14 करोड़ के अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/ राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को **तालिका-1.8** में श्रेणीबद्ध किया गया है।

[2] लेखापरीक्षा अवधि के कर प्राप्तियों की राशि शामिल

तालिका-1.8: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्र. सं.	श्रेणियाँ	पैराओं/मामले की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	वस्तु तथा सेवा कर में परिवर्तन की तैयारी	1	0.00
2	इनपुट टैक्स क्रेडिट	1	675.62
3	वैट में आपत्ति और अपील के मामले	1	8.17
4	अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा	6	5.58
5	राजस्व की गैर-प्राप्ति	1	1.00
6	माँग की गैर-वसूली और ब्याज की परिणामी हानि	3	13.15
7	राजस्व की गैर-प्राप्ति	1	1.57
8	ब्याज की गैर-उगाही	1	0.49
9	अन्य अनियमितताएँ	348	989.38
कुल		**363**	**1,694.96**
मोटर परिवहन कर			
1	संशोधित दरों का गैर-अनुपयोग	1	0.08
2	अन्य अनियमितताएँ	32	0.00
कुल		33	0.08
स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	निर्मित फ्लैटों के लिए न्यूनतम दरों का गैर-अनुप्रयोग	4	0.38
2	इंसट्रयूमेंट गलत तरीके से कन्वैन्स/सेल डीड की अपेक्षा जनरल पॉवर आफ अटोर्नी (जी पी ए) के रूप में पंजीकृत	4	0.18
3	आयकर विभाग के साथ लेन देन का गैर-प्रकटीकरण	4	0.11
4	वणिज्यिक श्रेणी की अपेक्षा आवासीय श्रेणी का उपयोग	2	0.09
5	अन्य अनियमितताएँ	90	5.34
कुल		104	6.10
कुल योग		**500**	**1,701.14**

बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर के अंतर्गत पाये गये लेखापरीक्षा के निष्कर्ष श्रेणीबद्ध रूप से **चार्ट-1.4** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट-1.4

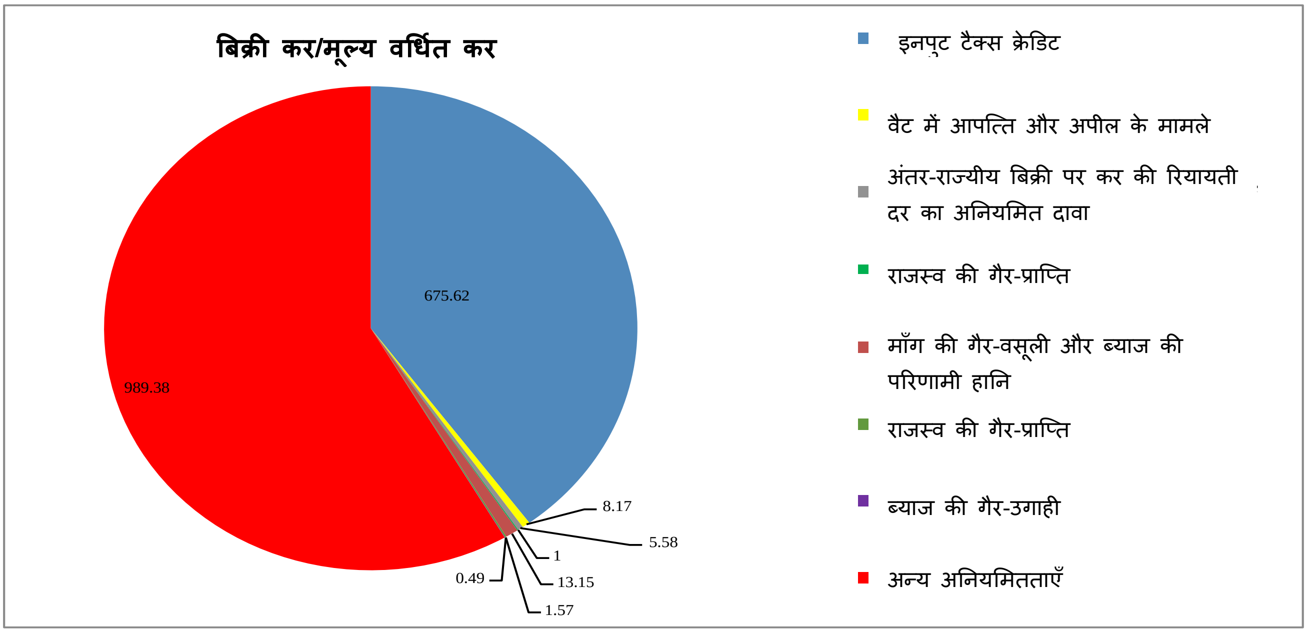

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 1,701.41 करोड़ की राशि के कम/गैर-राजस्व उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया, उनमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 390.39 करोड़ की राशि को स्वीकार किया तथा ₹ 26.05 लाख की राशि की वसूली की गई है।

1.1.9.2 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

व्यापार एवं कर विभाग ने ₹ 26.05 लाख की राशि वसूल की। इस राशि में तीन[3] व्यापारियों के संबंध में ₹ 19.49 लाख की वसूली शामिल है, जिन्होंने प्रणाली के 'रीकन्सीलेशन' माडयूल में पहले से भुगतान किए गए नियमित कर के साथ गलत तरीके से ₹ 15.08 लाख की अपनी अतिरिक्त माँग का मिलान किया। यह व्यापारियों द्वारा भुगतान की गई राशि के रूप में दर्शाई राशियों तथा बैंकों से प्राप्त वास्तविक राशियों के साथ मिलान में विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है। हालांकि विभाग ने इस मामले में प्रणाली में कमी बताते हुए लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने के बाद ₹ 19.49 लाख की पूरी राशि वसूल की, इसे विभाग द्वारा निदान किए जाने की आवश्यकता है।

1.1.10 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र के इस अध्याय में सात पैराग्राफ है जिसमें ₹ 705.58 करोड़ के वित्तीय प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन की तैयारी की प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया गया है। सरकार ने ₹ 390.39 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जिनकी चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

[3] टिन संख्या 07780404145, 07150200355, 07170104820

व्यापार एवं कर विभाग

1.2 वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन की तैयारी

1.2.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से दिल्ली में लागू किया गया। जीएसटी[4], का उद्ग्रहण एक ही राज्य में वस्तुओं या सेवाओं (मानव उपभोग के लिए एल्कोहल तथा पाँच निर्दिष्ट पैट्रोलियम उत्पादों[5] के अतिरिक्त) की आपूर्ति पर संघ (सीजीएसटी) तथा राज्यों (एसजीएसटी)/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीजीएसटी) के लिए अलग-अलग लेकिन एक साथ किया जाता है। इसके अलावा, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) वस्तुओं या सेवाओं (आयात सहित) की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जा रहा है तथा संसद के पास आईजीएसटी लगाने के लिए विशेष अधिकार है। जीएसटी के लागू होने से पहले राज्य के भीतर वस्तुओं का क्रमिक रूप से व्यापारियों द्वारा बिक्री की श्रृंखला में किए गए बिक्री के ऊपर मूल्य वर्धित कर (वैट), दिल्ली के वैट अधिनियम, 2004 के अनुसार वसूला जाता था तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम के अनुसार अंतर्राज्यीय वाणिज्य अथवा व्यापार के क्रम में वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अनुसार क्रमिक रूप से व्यापारियों द्वारा बिक्री के क्रम में अंतर्राज्यीय वस्तुओं तथा सेवाओं पर उद्ग्रहीत था। दिल्ली वैट अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया था, जबकि जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटीसी) जो कि जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित किया गया था, की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य द्वारा विनियमित किया जाता है।

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को आई टी सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया था। यह करदाताओं को फ्रंट-एंड आईटी सेवाएँ जैसे पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की सेवाएं प्रदान करता है। बैक-एंड आईटी सेवाएं जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण वीक्षक, धनवापसी प्रक्रिया, एमआईएस रिपोर्ट आदि भी जीएसटीएन द्वारा मॉडल-II[6] राज्यों को प्रदान किए जा रहे हैं। दिल्ली ने मॉडल-II का विकल्प लिया है।

---

4 केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटीजीएसटी (यूटीजीएसटी)

5 कच्चा, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और प्राकृतिक गैस

6 मॉडल-I दर्शाता है: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई केवल फ्रंट-एंड सेवाएं
मॉडल-II दर्शाता है: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों सेवाएं

1.2.2 राजस्व की प्रवृत्ति

दिल्ली राज्य में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक सम्मिलित/गैर-सम्मिलित करों सहित जीएसटी के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 19,652 करोड़ थीं। जीएसटी लागू होने से पूर्व करों[7] और जीएसटी के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां **तालिका-1.2.1** में दर्शाई गई हैं।

तालिका-1.2.1: जीएसटी के पूर्व तथा जीएसटी के तहत वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	जीएसटी करों से पूर्व प्राप्ति		जीएसटी के अंतर्गत प्राप्तियां	जीएसटी से पूर्व तथा जीएसटी के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता में वृद्धि	प्रपट सहायता	कुल प्राप्तियां	संरक्षित राजस्व
		वैट	सी एस टी						
2013-14	18,200	16,176.68	1,748.66	-	17,925.71	13.43	--	17,925.71	--
2014-15	19,000	16,305.76	1,983.50	-	18,289.31	2.03	--	18,289.31	--
2015-16	21,000	18,164.46	2,081.17		20,245.82	10.70	--	20,245.82	--
2016-17	22,000	18,891.14	2,253.09	-	21,144.24	4.44	--	21,144.24	--
2017-18 (जून 2017 तक)	25,700	4,516.62	601.45	-	5,118.07	17.15	--	5,118.07	--
2017-18 (जुलाई से मार्च 2018 तक)		5,520.63	510.53	13,620.84[8]	19,652.00		157.00	19,809.00	16,359.36

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों में 17.15 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.2.3 राज्य को प्रतिपूर्ति

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार ने आधार वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व के आंकड़ों को उपलब्ध करवाया जिनकी लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई थी। राज्य सरकार और राजस्व विभाग, भारत सरकार आधार वर्ष 2015-16 के लिए, राज्य को प्रतिपूर्ति की गणना हेतु राज्य के राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति फ़ंड में कमी यदि कोई हो, तो राज्य को ₹ 16,784 करोड़ की राजस्व राशि के आंकड़ों की सहमति दी है। परिवर्तन काल के दौरान राज्य के लिए सम्मिलित राजस्व की अनुमानित अंकित विकास दर 14 *प्रतिशत* प्रति वर्ष होगी तथा राज्य के राजस्व आधार वर्ष पर अनुमानित विकास दर को लागू करके वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 21,812.49 करोड़ की राशि के अनुमानित राजस्व की गणना की गई। देय प्रतिपूर्ति अनुमानित राजस्व और राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक राजस्व के बीच का अंतर होगा। राज्य को देय प्रतिपूर्ति हर दो महीने की अवधि के अंत में

---

7 मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता तथा मनोरंजन कर

8 एसजीएसटी - ₹ 7,960.89 करोड़ और आईजीएसटी - ₹ 5,659.95 करोड़

अनंतिम रूप से गणना और जारी किया जाना था। जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए संरक्षित राजस्व (विभाग) **₹ 16,359.36 करोड़ था हालांकि व्यापार एवं कर विभाग ने ₹ 16,019.35[9] करोड़ प्राप्त किया। विभाग ने सूचित किया कि राज्य को ₹ 340.01 करोड़ की प्रतिपूर्ति देय थी, परंतु राज्य को ₹ 326.00 करोड़ (मई 2018 में प्राप्त ₹ 169.00 करोड़ तथा मार्च 2018 तक प्राप्त ₹ 157.00 करोड़) की प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई थी।** विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नवंबर 2018 के माह में ₹ 14.01 करोड़ की प्रतिपूर्ति की बकाया राशि का मामला उठाया गया। हालांकि, मंत्रालय से अंतिम जवाब प्रतीक्षित है।

1.2.4 कानूनी/वैधानिक तैयारी

राज्य सरकार ने (जून 2017) दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया। ई-वे बिल प्रणाली राज्य में अंतर-राज्यीय लेनदेन पर 01 अप्रैल 2018 से तथा राज्यान्तरिक लेनदेन पर 16 जून 2018 से लागू की गई। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गईं। राज्य सरकार/व्यापार एवं कर विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक जीएसटी के संबंध में 113 अधिसूचनाएं, 30 परिपत्र और 38 आदेश जारी किए।

1.2.5 आईटी की तैयारी

जीएसटीएन करदाताओं को पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन फ्रंट-एंड सेवाएं प्रदान करना था। जैसा कि दिल्ली ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए मॉडल-II का विकल्प चुना था, जीएसटीएन द्वारा जीएसटी प्रबंधन के लिए बैक-एंड एप्लिकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विस्तार वीक्षक, धन वापसी कार्रवाई, एमआईएस रिपोर्ट आदि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन भी विकसित किए गए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, स्टेट डाटा सेंटर में मल्टी-प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएस) कनेक्टिविटी के माध्यम से बैक-एंड के लिए राज्य को एक्सेस उपलब्ध था। राज्य में प्रत्येक पाँच एमबीपीएस के दो एमपीएलएस कनेक्शन हैं, जो जीएसटीएन द्वारा प्रदान किया गया है।

मॉडल-II राज्यों के लिए जीएसटीएन द्वारा डेस्कटॉप के न्यूनतम संरूपण की सिफारिश की गई थी। विभाग ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए 350 नए डेस्कटॉप कंप्यूटरों की आवश्यकता का आकलन किया और उन्हें खरीदा तथा स्थापित किया।

[9] वैट तथा सीएसटी (पैट्रोलियम तथा लिकर के अलावा) ₹ 2,328.64 करोड़, मनोरंजन कर, विलासिता कर, बैटिंग तथा मेडिसनल तथा टायलेट व्यवस्था कर उत्पाद शुल्क - ₹ 69.87 करोड़, एसजीएसटी - ₹ 7,960.89 करोड़, आईजीएसटी - ₹ 5,659.95 करोड़ (₹ 735 करोड़ के अग्रिम/निपटान सहित)

विभाग ने बताया कि जीएसटीएन से नेटवर्क कनेक्टिविटी और विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा जीएसटीएन पोर्टल के एक्सेस के लिए डाटा सेंटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दो यूपीएस से बिजली आपूर्ति की सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह भी बताया गया कि आईटी से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समर्पित आईटी टीम को तैनात किया गया है।

1.2.6 निर्माण क्षमता

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नशीले पदार्थों की राष्ट्रीय अकादमी (एनएसीईएन), फरीदाबाद के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत, अधिकारियों (सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारी, मूल्य वर्धित कर अधिकारी, संयुक्त/अतिरिक्त/विशेष आयुक्त) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा जीएसटी कार्यान्वयन से पूर्व 443 कर्मचारियों को जीएसटी का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग में कार्यरत अधिकारियों ने चेन्नई में जीएसटीएन सॉफ्टवेयर पर आईटी प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके अलावा, विभाग ने अपने स्वयं के कंप्यूटर लैब में मूल्य वर्धित कर अधिकारी के स्तर तक के अधिकारियों के लिए आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। विभाग द्वारा व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक जीएसटी सुविधा केंद्र और हेल्प डेस्क की स्थापना की गई।

1.2.7 जीएसटी का कार्यान्वयन

जीएसटीएन द्वारा करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की तीन फ्रंट-एंड सेवाएं प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन प्रावधानों को लागू करने के लिए मौजूदा करदाताओं को स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जीएसटीएन द्वारा बैक-एंड सेवाएं जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विस्तार वीक्षक, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) प्रक्रिया, धनवापसी प्रक्रिया, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि भी विभाग को एक मॉडल-II राज्य के रूप में प्रदान किए गए थे। जीएसटी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

1.2.7.1 करदाताओं का पंजीकरण

राज्य में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाला प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका किसी वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ₹ 20 लाख से अधिक हो, एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्ही पूर्व-जीएसटी कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत है और उसके पास एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) है, को अनंतिम आधार पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र

जारी किया गया और निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर पंजीकरण का अंतिम प्रमाण पत्र दिया गया था।

(i) व्यापार एवं कर विभाग में मौजूद करदाताओं का स्थानांतरण

दिल्ली जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 8 के अनुसार, किसी भी मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत और पैन रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ई-मेल का पता और मोबाइल नंबर को मान्य करके सामान्य पोर्टल पर नामांकन करेगा और ऐसे व्यक्ति को अनंतिम आधार पर पंजीकरण अनुमत किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक अनंतिम पंजीकरण अनुमत किया गया है, वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन में निर्दिष्ट दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विभाग में मौजूद पंजीकृत व्यापारियों के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति **तालिका-1.2.2** में दर्शाई गई है।

तालिका-1.2.2: अंनतिम तथा अंतिम पंजीकरण की स्थिति (30 जून 2017 को)

30 जून 2017 को स्थित कुल व्यापारियों की संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनंतिम आई डी की कुल संख्या	किया गया कुल नामांकन	जीएसटी के अंतर्गत अंत में नामांकित न किए गए कुल व्यापारियों की संख्या
4,40,460	4,36,241	3,09,432	1,26,809

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी गई सूचना

मौजूद व्यापारियों में से 99 *प्रतिशत* को जीएसटीएन से अनंतिम आईडी प्राप्त हुई, लेकिन मौजूद व्यापारियों में से केवल 71 *प्रतिशत* ने माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी की और अंततः जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हुए। शेष 29 *प्रतिशत* व्यापारियों को सक्रिय न होने, चार तिमाहियों के विवरण में त्रुटि होने, वर्ष 2016-17 के दौरान टर्नओवर शून्य होने एक पैन के प्रति कई पंजीकरण होने, वैट के साधारण व्यापारी केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के कारण स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

(ii) केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

स्थानांतरित करदाता - जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले स्थानांतरित करदाताओं का 90 *प्रतिशत* तथा ₹ 1.5 करोड़ से अधिक की टर्नओवर वाले स्थानांतरित करदाताओं का 50 *प्रतिशत*, राज्य को आवंटित किए गए है।

तदनुसार, 3,92,147 स्थानांतरित करदाताओं (25 अक्तूबर 2017) में से, राज्य को 3,27,432 स्थानांतरित करदाताओं के क्षेत्राधिकार का आवंटन किया गया था जैसा कि **तालिका-1.2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.2.3 : राज्यों को करदाताओं का आवंटन

स्थानांतरित करदाता			
	₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	कुल
राज्य	31,871	2,95,561	3,27,432
केंद्र	31,868	32,847	64,715
कुल	63,739	3,28,408	3,92,147

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

1.2.7.2 रिटर्न फाईल करना

दिल्ली जीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, कंपोजीशन करदाताओं के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1[10] में वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण, फॉर्म जीएसटीआर-2[11] में वस्तु या सेवाओं की आवक आपूर्ति के विवरण तथा फॉर्म जीएसटीआर-3 में एक मासिक रूप से रिटर्न (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के माध्यम से दी गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक रूप से) प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। जबकि कंपोजिशन करदाताओं को तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 फाइल करना अपेक्षित था।

नई कर व्यवस्था के प्रारम्भिक दौर में करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए रिटर्न फाइलिंग की निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया गया। इसलिए, जीएसटीआर -2 तथा जीएसटीआर-3 का फाइलिंग स्थगित कर दिया गया और सभी करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-3 बी[12] में अग्रेषित माह के 20 वें दिन तक कर के भुगतान के साथ एक सामान्य मासिक रिटर्न जमा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान जिन करदाताओं ने अपना रिटर्न (जीएसटीआर-3 बी) फाइल किया है, का विवरण **तालिका-1.2.4** में दर्शाया गया है।

---

10 जीएसटीआर - 1: (क) पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए सभी राज्यांतरिक तथा अंतर-राज्यीय आपूर्ति का चालान वार विवरण और अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹ 2.50 लाख से अधिक मूल्य की अंतर-राज्यीय चालान विवरण सहित (ख) अपंजीकृत व्यक्तियों को दी गई सभी राज्यांतरिक आपूर्ति के समेकित विवरण तथा राज्य-वार अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹ 2.50 लाख तक के मूल्य की अंतर-राज्यीय आपूर्ति चालान विवरण सहित (ग) माह के दौरान जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट नोट यदि कोई हो

11 जीएसटीआर - 2: (ए) पंजीकृत व्यक्तियों या अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंतर-राज्यीय तथा राज्यांतरिक आपूर्ति का चालान वार विवरण, (ख) निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का आयात तथा (ग) आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त डेबिट और क्रेडिट नोट यदि कोई हो

12 जीएसटीआर - 3 बी: कंपोजिशन टैक्सपेयर्स के अतिरिक्त सभी करदाताओं के द्वारा एक मासिक रिटर्न भरना आवश्यक है

तालिका-1.2.4 फाईल किये गए रिटर्न का मासिक-वार विवरण

माह/वर्ष	कुल करदाता	रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की	रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं की प्रतिशतता
जुलाई 2017	4,44,906	4,36,522	8,384	98
अगस्त 2017	4,96,430	4,62,182	34,248	93
सितम्बर 2017	5,27,237	4,90,812	36,425	93
अक्तूबर 2017	5,43,861	4,12,339	1,31,522	76
नवंबर 2017	5,58,273	5,10,426	47,847	91
दिसम्बर 2017	5,71,442	5,17,971	53,471	91
जनवरी 2018	5,86,188	5,14,951	71,237	88
फ़रवरी 2018	6,00,477	4,23,156	1,77,321	70
मार्च 2018	6,12,975	4,38,859	1,74,116	72

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान 70 *प्रतिशत* से 98 *प्रतिशत* करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल किया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग को करदाताओं द्वारा शीघ्रता से लंबित रिटर्न प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.2.7.3 कर का भुगतान

मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3 बी तथा त्रैमासिक रिटर्न जीएसटीआर-4 देय कर के भुगतान के बाद फाईल किया जाना आवश्यक था। इसलिए, करदाताओं द्वारा समय पर देय कर की जमा सुनिश्चित करने के लिए इन रिटर्नों की निगरानी महत्वपूर्ण थी। विभाग द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान संग्रहित जीएसटी का विवरण **तालिका-1.2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.2.5: जीएसटी संग्रहण का विवरण

(₹ करोड़ में)

माह/वर्ष	जीएसटी का निवल संग्रहण (एसजीएसटी + आईजीएसटी)
जुलाई 2017	0.65
अगस्त 2017	1,496.08
सितम्बर 2017	1,652.04
अक्टूबर 2017	1,821.38
नवंबर 2017	1,701.90
दिसम्बर 2017	1,552.57
जनवरी 2018	1,708.65
फ़रवरी 2018	2,177.83
मार्च 2018	1,509.74
कुल	**13,620.84**

1.2.7.4 ट्रांजीशनल क्रेडिट

दिल्ली जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित दिल्ली जीएसटी नियमावली के नियम 117 के अनुसार, पंजीकृत करदाता पूर्व-जीएसटी नियमों के अंतर्गत फाइल की गई रिटर्न में अग्रेषित की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की राशि का जमा लेने के हकदार थे। इसमें रिटर्न में अग्रेषित न की गई पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में

जिस आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया, वह शामिल थी। पंजीकृत व्यक्तियों को निर्धारित ट्रान-। फॉर्म में रिटर्न भरनी आवश्यक थी। हालांकि, जहां करदाताओं ने नियत तारीख से पहले छः महीने की अवधि के लिए पूर्व-जीएसटी नियमों के अंतर्गत सभी आवश्यक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए थे उन करदाताओं को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। **विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि 49,593 करदाताओं ने 'फॉर्म ट्रान-1' फाइल किया था और ₹ 8,553.54 करोड़ के ट्रांजीशनल क्रेडिट (सीजीएसटी+एसजीएसटी) का दावा किया था। हालांकि, विभाग द्वारा ट्रांजीशनल क्रेडिट (49,593 मामलों में से) के मामले जो अब तक सत्यापित किए गए, का विवरण प्रदान नहीं किया है।**

अप्रैल से जून, 2019 की अवधि के दौरान की गई विभिन्न वार्डो की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान, संबंधित करदाताओं द्वारा 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही को फाईल की गई वैट रिटर्नो के साथ लेखापरीक्षा में ₹ 176.84 करोड़ के ट्रांजीशनल क्रेडिट का दावा करने वाले 118 मामलों की समीक्षा की गई। यह देखा गया कि:

(i) चार मामलों में, करदाताओं ने जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत ट्रान-1 में ₹ 8.85 करोड़ के ट्रांजीशनल जमा का दावा किया। जबकि यह पाया गया कि डीवैट अधिनियम के अंतर्गत दायर उनकी रिटर्नो के अनुसार, केवल ₹ 0.16 करोड़ का क्रेडिट उपलब्ध था।

(ii) पाँच मामलों में करदाताओं ने ₹ 19.44 करोड़ के ट्रांजीशनल क्रेडिट का दावा किया। जबकि यह देखा गया कि वैट व्यवस्था के दौरान इन करदाताओं द्वारा किए गए क्रय की राशि का, विक्रय व्यापारियों द्वारा दर्शाई राशि से मेल नहीं था।

1.2.7.5 जीएसटी के अंतर्गत धन वापसी

जीएसटीएन के अंतर्गत धन वापसी मॉड्यूल चालू नहीं था, इसलिए आवेदकों को मैनुअल प्रणाली के माध्यम से धन वापसी की अनुमति दी जा रही है। कर की अवधि के अंत में इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता बही या अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में शेष राशि के वापसी के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। कर के भुगतान के बिना किए गए शून्य दर आपूर्ति के मामले में या जब उत्पादन की आपूर्ति पर कर की दर की बजाय इनपुट पर कर की दर के अधिक होने पर जमा हुआ है, तो अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति दी गई थी। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वापसी की स्थिति **तालिक-1.2.6** में दर्शायी गयी है।

तालिक-1.2.6: जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वापसी

31 मार्च 2018 तक धन वापसी आवेदन प्राप्त		धन वापसी की अनुमति (31 मार्च 2018 के अनुसार)	
करदाताओं की संख्या	धन वापसी दावों की राशि (₹ करोड़ में)	करदाताओं की संख्या	राशि का भुगतान (₹ करोड़ में)
18,627	470.95	नहीं दिया गया	3.76

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी गई सूचना

चूंकि जीएसटीआर-2 (किसी विशेष कर अवधि के लिए वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की इनवर्ड आपूर्ति के लिए रिटर्न) की फाइलिंग अभी भी स्थगित है (अगले आदेशों तक), आईटीसी की मेल/बेमेल अपलोड रिपोर्ट आईटी प्रणाली से उत्पन्न नहीं की जा सकती है। **निर्धारिती क्रय बिल अपलोड नहीं कर रहा है तथा केवल क्रय और विक्रय का विवरण प्रदान कर रहा है। क्रय बिलों के अभाव में, विभाग आईटीसी के दावे का प्रति सत्यापन करने में असमर्थ है, इसलिए क्रेता द्वारा आईटीसी के गलत दावे के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता।**

1.2.8 समाधान मुद्दे

विभाग द्वारा निर्धारण से संबंधित, बकाया राशि की वसूली और बताए गए अन्य संबंधित मामलों की स्थिति निम्नानुसार हैं:-

1.2.8.1 व्यापारियों का निर्धारण

विभाग उन व्यापारियों का निर्धारण करता है जो दिल्ली में डीवैट अधिनियम और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत थे। निर्धारण के आधार पर, व्यापारियों के प्रति माँग उत्थित की जाती है। माँग राशि में कर, ब्याज और जुर्माना शामिल हैं जो संबंधित अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लगाए जाते हैं। 2017-18 की अवधि के दौरान, विभाग द्वारा डीवैट अधिनियम और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 81,041 व्यापारियों का निर्धारण किया गया और ₹ 10,464.00 करोड़ की अतिरिक्त माँग उत्थित की गई।

1.2.8.2 बकाये की वसूली

31 मार्च 2017 तक राजस्व के बकाये की कुल राशि ₹ 26,695.14 करोड़ थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान, विभाग ने ₹ 10,464.00 करोड़ की माँग की ओर ₹ 4,149.00 करोड़ की वसूली की। 31 मार्च 2018 को लंबित कुल बकाया ₹ 33,010.14 करोड़ था।

1.2.8.3 जीएसटी से पूर्व की अवधि की धन वापसियाँ

डीवैट अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापारियों द्वारा दावित तथा अनुमत वापसियों की स्थिति **तालिका-1.2.7** में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.2.7: जीएसटी से पूर्व की वापसियाँ

व्यापारी जिन्होने 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए वापसी का दावा किया		संस्वीकृत वापसी	
व्यापारियों की संख्या	**राशि (₹ करोड़ में)**	**व्यापारियों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1,25,393	3,872.17	71,267	1,488.72

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दी गई सूचना।

1.2.9 निष्कर्ष

विभाग/सरकार जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए अपनी तैयारियों में तत्पर थे जैसा कि संबंधित अधिनियम और नियमों को लागू करने के संदर्भ में देखा जा सकता है। जीएसटी को लागू करने के लिए क्षमता विकसित करने और अपेक्षित आईटी अवसंरचना के निर्माण में आवश्यक कदम उठाए गए। केन्द्र सरकार (केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर) के अधिकार क्षेत्र से जिन करदाताओं को स्थानांतरित किया गया, द्वारा दावा किए गए ट्रांजीशनल क्रेडिट को सत्यापित करने के लिए विभाग को एक उचित प्रणाली रखना चाहिए। विभाग को समाधान मुद्दे जैसे डीवैट अधिनियम और सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण पूरा करने, राजस्व की बकाया राशि को कम करने के लिए, लंबित माँग राशि की वसूली और जहां देय है, वहाँ शीघ्रता से, समय-सीमा के भीतर धन वापसी का भुगतान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट

1.3.1 प्रस्तावना

व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी), रा.रा.क्षे.दि.स. को दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) किसी पंजीकृत व्यापारी को उसी राज्य के किसी भी पंजीकृत व्यापारी से किसी भी कर योग्य सामान के क्रय के संबंध में उस सीमा तक और इस तरह से निर्दिष्ट किये गए उद्देश्य हेतु आईटीसी अनुमत्य होगा। डीवैट अधिनियम में आईटीसी का दावा करने के लिए पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न जमा करने का प्रावधान है। रिटर्न के साथ-साथ, पंजीकृत व्यापारियों को क्रय तथा विक्रय सार परिशिष्ट 2 क और 2 ख और उस पर किये गये कर का भुगतान जमा करना पड़ता है। डीटीटी ने मार्च 2016 में निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) को निर्देश दिया कि यदि क्रय तथा विक्रय परिशिष्ट में कोई भी बेमेल रिपोर्ट है, तो व्यापारी को रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद दिखाई जाएगी और यदि व्यापारी उसमें संशोधन नहीं करता हैं तो उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा, डीटीटी ने जुलाई 2010 में, अपने वार्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन व्यापारियों के रिटर्न की 100 *प्रतिशत* जांच करें, जिनका सकल टर्न- ओवर पाँच करोड़ रुपये से अधिक था।

अधिनियम की धारा 28 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कर अवधि के लिए अपने रिटर्न में विसंगति का पता लगाता है, तो वह इस तरह की विसंगति को दूर करेगा और ऐसी कर अवधि की संशोधित रिटर्न अगले वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा। डीवैट अधिनियम की धारा 34 में निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए चार वर्ष की सीमा अवधि का प्रावधान है।

पिछले तीन वर्षों में दावा किए गए आईटीसी की वर्ष-वार राशि नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यरत व्यापारियों की कुल संख्या	संग्रहीत राजस्व	आईटीसी का दावा करने वाले व्यापारियों की संख्या	आईटीसी दावे की राशि
2014-15	1,82,927	17,657.35	10,482	908.12
2015-16	1,89,650	19,526.31	8,128	906.89
2016-17	1,95,079	20,889.25	9,214	1,156.18

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग

लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या आईटीसी सही रूप से अनुमत्य किया गया। नमूना लेखापरीक्षा में उन मामलों की जांच की जहां 2014-15 से 2016-17 के दौरान व्यापारियों द्वारा आईटीसी का दावा किया गया। हमने डीवैट प्रणाली में उपलब्ध चयनित मामलों के डेटा का विश्लेषण किया। यह लेखापरीक्षा अप्रैल और नवंबर 2018 के बीच की गई थी और डीटीटी के जो भी जवाब प्राप्त हुए (जुलाई 2019) उसे उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन का मानदंड

निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित 277 मामलों में, यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आंशिक निर्धारण किया गया फिर भी धारा 32 के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए व्यापारियों का बकाया/निर्धारण पूरा नहीं हुआ। सभी चयनित मामले चार वर्ष की अवधि की सीमा के अन्दर थे, इसलिए विभाग के पास निर्धारण करने के लिए अभी भी समय था। हालांकि, इन सभी मामलों में धारा 28 के अंतर्गत रिटर्न को संशोधित करने के लिए दी गई एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है। लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित दो क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया है और इन क्षेत्रों के नमूना चयन के मानदंड को नीचे दिया गया हैः

क) आईटीसी को गलत तरीके से आगे ले जानाः विभाग के डेटाबेस के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 11,067 मामले थे, जहां पिछली कर अवधि से आगे लाये गये आईटीसी में अन्तर था। इन 11,067 मामलों में से 133 मामले ऐसे थे जहां पिछली कर अवधि से आगे लाये गये आईटीसी में अन्तर ₹ दो लाख से अधिक था। लेखापरीक्षा ने इन सभी 133 मामलों (1.2 *प्रतिशत*) को विस्तृत जांच के लिए चुना।

ख) आईटीसी का अनियमित दावाः विभाग के डेटाबेस के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 24,462 मामले थे, जहां निर्धारितियों का स्थानीय क्रय एक कर अवधि में एक व्यक्ति से ₹ पाँच करोड़ के बराबर या उससे अधिक था। इन 24,462 मामलों में से 911 मामलों में क्रय व्यापारियों द्वारा बताई गई क्रय और समरूपी व्यापारियों द्वारा बताई गई बिक्री में अंतर था। लेखापरीक्षा ने इन सभी 911 मामलों (3.7 *प्रतिशत*) को विस्तृत जांच के लिए चुना। इसके अतिरिक्त, नौ मामलों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये समान लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत रूप से आगे ले जाना

डीवैट अधिनियम, 2004 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा देय राशि से अधिक भुगतान की गई राशि उस व्यक्ति की इच्छा पर, कर जमा के रूप में, अगली कर अवधि में आगे ले जाई जा सकती है। इसके अलावा, डीवैट अधिनियम की धारा 86 (10) प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसकी विवरण सामग्री असत्य, भ्रामक या धोखापूर्ण है वह दस हजार रुपये की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। किसी राशि के भुगतान करने में किसी चूक के लिए ब्याज देने के लिए भी उद्ग्रहणीय होगा।

डीवैट प्रणाली में 2014-15 से 2016-17 से संबंधित 133 मामलों की संवीक्षा (जहां पिछली कर अवधि से आगे ले जाये गये आईटीसी का अंतर ₹ दो लाख से अधिक था) में पता चला कि **130 मामलों में, व्यापारियों ने उनकी रिटर्नों में ₹ 42.13 करोड़ के आईटीसी को आगे ले जाया गया, जबकि पिछली कर अवधि से आगे ले जाने के लिए केवल ₹ 21.10 करोड़ की राशि ही उपलब्ध थी।** इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.03 करोड़ का आधिक्य आईटीसी आगे ले जाया गया।

सरकार (अगस्त 2018/जनवरी 2019) ने 77 मामलों में ₹ 15.91 करोड़ के अधिक आईटीसी को आगे ले जाने की पुष्टि की। यह भी जवाब दिया गया कि तीन मामलों में **₹ 6.56 लाख के आधिक्य को आगे ले जाने की वसूली/रिफंड के प्रति समायोजन** किया गया है तथा शेष 74 मामलों में ₹ 15.84 करोड़ के जुर्माना और ब्याज सहित माँग उत्थित की गई। अन्य 53 मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

1.3.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

2014-15 से 2016-17 की अवधि से संबंधित आंकड़ों (जहां एक निर्धारिती की एक व्यक्ति से एक कर अवधि में स्थानीय क्रय ₹ पाँच करोड़ के बराबर या उससे अधिक थी) की संवीक्षा से पता चला कि 24,462 मामलों में से 911 मामलों में क्रय व्यापारियों द्वारा दर्शाये गए क्रय तथा इसके समरूपी विक्रय व्यापारियों द्वारा दर्शाये गए विक्रय में अंतर था। इसके अतिरिक्त, इन 911 मामलों तथा वर्ष 2011-12 से संबंधित नौ मामलों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

(i) गैर-पंजीकृत व्यापारियों से किए गए क्रय के प्रति आईटीसी का दावा किया गया

डीवैट अधिनियम, 2004 प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत व्यापारी नहीं है, उससे क्रय किए गए माल के लिए निर्धारिती को कर क्रेडिट अनुमत्य नहीं होगा।

2014-15 से 2016-17 की अवधि से संबंधित, 37 मामलों में, क्रय व्यापारियों ने ₹ 327.75 करोड़ के स्थानीय क्रयों पर ₹ 18.82 करोड़ का आईटीसी का दावा किया था। जबकि, डीलर प्रोफ़ाइल से मिलान सत्यापन में पाया गया कि विक्रय व्यापारी संबंधित कर अवधि में डीटीटी में पंजीकृत नहीं थे।

सरकार ने 31 मामलों में ₹ 15.26 करोड़ के आईटीसी के अनियमित दावे की पुष्टि की (अगस्त 2018/जनवरी 2019) और यह भी कहा कि जुर्माना और ब्याज सहित समान राशि की माँग उत्थित की गई। अन्य छः मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

(ii) कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों से क्रय के प्रति आईटीसी का दावा किया गया

कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एक व्यापारी को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में देना पड़ता है और कानून के प्रावधानों के विस्तृत अनुपालन से

राहत मिलती है और, व्यापारी जिसके द्वारा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर के भुगतान करने को चुना गया, से क्रय किए गए माल के लिए कोई कर क्रेडिट अनुमत्य नहीं होगा।

वर्ष 2014-15 से संबंधित चार मामलों में, क्रय व्यापारियों ने ₹ 46.62 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 3.28 करोड़ का आईटीसी का दावा किया, जबकि व्यापारी प्रोफ़ाइल से मिलान सत्यापन करने पर पाया गया कि विक्रय व्यापारी कंपोज़िशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.28 करोड़ का आईटीसी का अनियमित दावा हुआ।

सरकार ने दो मामलों में ₹ 2.24 करोड़ के आईटीसी के अनियमित दावे की पुष्टि की (सितंबर 2018) और यह भी कहा कि जुर्माना और ब्याज सहित समान राशि की माँग उत्थित की गई। अन्य दो मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

(iii) क्रयों तथा विक्रयों के गलत मिलान के प्रति आईटीसी का दावा किया गया

डीवैट अधिनियम प्रावधान करता है कि व्यापारियों या व्यापारी वर्ग को कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि क्रय व्यापारी द्वारा भुगतान किए गए कर को वास्तव में विक्रय व्यापारी द्वारा सरकार को जमा न कर दिया गया हो। इस संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गईं :-

क) क्रय को बढ़ा कर आईटीसी का अधिक दावा

2014-15 से 2016-17 की अवधि से संबंधित 47 मामलों में, क्रय व्यापारियों ने अपनी तिमाही रिटर्न में ₹ 871.66 करोड़ के स्थानीय क्रय को दर्शाया, जबकि विक्रय व्यापारियों ने संबंधित क्रय व्यापारियों को केवल ₹ 570.69 करोड़ की बिक्री दर्शायी थी। इस प्रकार, क्रय व्यापारियों ने ₹ 16.40 करोड़ के आईटीसी के अतिरिक्त दावे को शामिल करते हुए ₹ 300.98 करोड़ की बढ़ी हुई क्रय दर्शायी थी।

सरकार ने 29 मामलों में ₹ 6.99 करोड़ के आईटीसी के अनियमित दावे की पुष्टि की (अगस्त 2018/जनवरी 2019) और यह भी कहा कि जुर्माना और ब्याज सहित समान राशि की माँग उत्थित की गई है। शेष 18 मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

ख) उन व्यापारियों से क्रय के प्रति आईटीसी का दावा किया जिन्होंने कोई भी समतुल्य विक्रय नहीं दर्शाया

2011-12 और 2016-17 की अवधि के बीच के 240 मामलों में, क्रय व्यापारियों ने ₹ 3,076.28 करोड़ की स्थानीय क्रय पर ₹ 186.97 करोड़ के आईटीसी का दावा किया। हालांकि, उनके रिटर्न और विक्रय सारांश (परिशिष्ट-2 बी) से मिलान सत्यापन पर यह पाया गया कि संबंधित विक्रय व्यापारियों ने उस कर अवधि के लिए संबंधित क्रय व्यापारियों को कोई विक्रय नहीं किया था।

सरकार ने 166 मामलों में ₹ 124.21 करोड़ के आईटीसी के अनियमित दावे (अप्रैल 2018 और जनवरी 2019 के बीच) की पुष्टि की, और यह भी कहा कि जुर्माना और ब्याज सहित समान राशि की माँग उत्थित की गई है। तीन मामलों में, यह कहा गया कि डीवैट पोर्टल में कोई रिकार्ड (परिशिष्ट-2 ए) मौजूद नहीं है (दिसम्बर 2018)। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने परिशिष्ट-2 ए के आधार पर राशि के मिलान न होने पर आपत्ति उठाई थी, जो डीवैट पोर्टल में उपलब्ध थी। अन्य 71 मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

ग) उन व्यापारियों से क्रय के प्रति आईटीसी का दावा किया जिन्होंने कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की थी।

2014-15 से 2016-17 की अवधि से संबंधित 444 मामलों में, यह पाया गया कि क्रय व्यापारियों ने ₹ 5,945.47 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 429.11 करोड़ के आईटीसी का दावा प्रस्तुत किया था। हालांकि, व्यापारी प्रोफाइल से मिलान सत्यापन पर पाया गया कि विक्रय व्यापारियों ने संबंधित कर अवधि के लिए कोई रिटर्न जमा नहीं किया।

सरकार ने 294 मामलों में ₹ 205.97 करोड़ के आईटीसी के अनियमित दावे की पुष्टि की (अगस्त 2018/जनवरी 2019) और यह भी कहा कि जुर्माना और ब्याज सहित समान राशि की माँग उत्थित की गई है। अन्य 150 मामलों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

1.3.5 निष्कर्ष

डीवैट अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त आईटीसी को पिछली कर अवधि से आगे लाया गया। डीवैट प्रणाली में उपलब्ध क्रय और विक्रय परिशिष्ट के बेमेल होने के मामले में निर्धारण करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप आईटीसी का अनियमित दावा किया गया। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों और गैर-पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद के मामलों में आईटीसी का दावा किया गया। बढ़ी हुई क्रय दिखाकर अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया। आईटीसी का दावा उन व्यापारियों से क्रय पर किया गया, जिन्होंने कोई समरूपी बिक्री नहीं दिखाई थी और जिन्होंने कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी।

1.4 वैट में आपत्ति और अपील के मामले

1.4.1 प्राक्कथन

व्यापार एवं कर विभाग (विभाग) दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मूल्य वर्धित कर (डीवैट) और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की वसूली, निर्धारण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। डीवैट अधिनियम अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो (क) इस अधिनियम के अंतर्गत किये गए निर्धारण (इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत/किये गये निर्धारण सहित), या (ख) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी आदेश या निर्णय, से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्धारण, या आदेश या निर्णय, जैसा भी मामला हो, के विरूद्ध ऐसे निर्धारण, आदेश या निर्णय, जैसा भी मामला हो, की तारीख से दो माह के अंदर आयुक्त को एक आपत्ति कर सकता है। डीवैट अधिनियम की धारा 76 अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा दिये गये निर्णय से असंतुष्ट है, ऐसे निर्णय के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में निर्णय के प्राप्त होने की तारीख से दो माह के अन्दर दायर कर सकता है। वर्ष 2014-2017 की अवधि के लिए वैट में आपत्ति और अपील के मामलों की लेखापरीक्षा अप्रैल से अगस्त 2018 के दौरान, यह जांच करने के लिए, की गयी थी कि (i) क्या वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था (ii) आपत्ति/अपील के मामलों का निपटान उचित समय अवधि के अंदर किया गया था और (iii) ऐसे मामलों की निगरानी का आंतरिक प्रणाली पर्याप्त थी।

दायर किये गये और निपटाये गये आपत्ति के मामलों की संख्या का वर्ष-वार विवरण **तालिका-1.4.1** में दिया गया है:

तालिका-1.4.1: दायर किये गये और निपटाये गये आपत्ति के मामले

वर्ष	आरम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	मामलों की वृद्धि	मामलों का निपटान	अन्तिम शेष (मामलों की संख्या)	लंबित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	20,689	28,189	17,152	31,726	4,944.10
2015-16	31,726	22,084	18,020	35,790	5,517.91
2016-17	35,790	20,605	16,275	40,120	10,193.56

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग

दायर किये गये और निपटाये गये अपील के मामलों की संख्या का वर्ष-वार विवरण **तालिका-1.4.2** में दिया गया है:

तालिका-1.4.2: दायर किये गये और निपटाये गए अपील के मामले

वर्ष	आरम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	मामलों की वृद्धि	मामलों का निपटान	अन्तिम शेष (मामलों की संख्या)
2014-15	4,335	695	2,335	2,695
2015-16	2,695	1,267	851	3,111
2016-17	3,111	384	1,125	2,370

स्रोतः अपीलीय न्यायाधिकरण

इस प्रयोजन के लिए, विभाग के 12 जोनों में से, दो ज़ोनों (जोन-3 और 9) का चयन यादृच्छिक नमूना आधार पर किया गया और एक ज़ोन (ज़ोन-11) को सबसे अधिक कर का भुगतान करने वाला ज़ोन होने के कारण चुना गया। इन तीनों जोनों के आंकड़ों के अनुसार वहाँ 6,545 निर्णीत आपत्ति मामले थे। सभी 207 निर्णित आपत्ति के मामले जिनमें प्रत्येक की माँग ₹ पाँच लाख और उससे अधिक की थी, को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुना गया। इसके अलावा, शेष 6,338 निर्णीत मामलों में से ₹ पाँच लाख से कम की माँग वाले 100 मामलों का यादृच्छिक नमूना चयन के आधार पर चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी 4,514 अनिर्णीत मामलों में से ₹ पाँच लाख या उससे अधिक की विशिष्ट माँग वाले, 1,301 अनिर्णीत मामलों का (₹ पाँच लाख से ₹ 15 लाख की माँग वाले 609 मामले और ₹ 15 लाख से ऊपर माँग वाले 692 मामले) यादृच्छिक आधार पर चयन किया।

इसके अतिरिक्त, अपील के निर्णीत मामलों में से तीन महीनों (मार्च-2015, सितम्बर-2015 और फरवरी-2017) को यादृच्छिक आधार पर चुना गया। इन तीन महीनों में, सभी 239 अपील के निर्णीत मामलों का चयन किया गया, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान निर्णीत नौ अपील के मामलों जिनकी माँग ₹ 25 लाख से अधिक थी, की भी संवीक्षा की गयी।

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 'आपत्ति एवं अपील मामलों' पर पैरा 2.3 छापा गया जिसमें विभाग की कमियों को उजागर किया गया था। जुलाई 2019 तक पैरे पर एक्शन टेकन नोट प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.4.2 आपत्ति के मामलों की अनियमित वापसी

डीवैट अधिनियम-2004 यह प्रावधान करता है कि आपत्ति सुनवाई प्राधिकरण, (ओएचए) आपत्ति की प्राप्ति के बाद तीन माह के अंदर आपत्ति को या तो स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है और किसी भी मामले में, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को निर्णय और उसके लिए कारणों का जिस पर यह आधारित है के साक्ष्य की विवरणी को शामिल करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकते है। इसके अतिरिक्त, **डीवैट न्यायाधिकरण के निर्णय (30 सितम्बर 2010), श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम आयुक्त व्यापार एवं कर के मामले, के अनुसार डीवैट अधिनियम निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) मामलों को वापस करने का अधिकार शामिल नहीं होता।**

लेखापरीक्षा ने तीन ज़ोनों से संबंधित 307 निर्णीत मामले, जो ओएचए द्वारा अप्रैल 2014 और मार्च 2017 के बीच निर्णीत किये गये, का चयन किया। इन निर्णीत आपत्ति के मामलों की डीवैट प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों और आंकड़ों के विवरण के साथ लेखापरीक्षा में प्राप्त फाइलों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, ₹ 95.88 करोड़ की विवादित राशि के 101 आपत्ति मामलों को न्यायालय प्राधिकरणों द्वारा संबंधित वार्डों के निर्धारण प्राधिकारियों को पुनः मूल्यांकन/पुनः अवलोकन के लिए वापस किया गया।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि यद्यपि कानून की योजना में 'आपत्ति के मामलों की वापसी' विशेष रूप से निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि 'निर्णय' शब्द एक व्यापक शब्द है और यह न केवल आपत्ति के स्वीकार/अस्वीकार करने की सीमा को शामिल करता है बल्कि न्याय के हित में मूल्य वर्द्धित कर अधिकारी (वैटो) द्वारा अभिलेखों की जांच के एक अन्य अवसर का कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह भी कहा गया है कि कुछ मामले में लेन-देन का विस्तार बहुत अधिक और समय लेने वाला है और यह ओएचए के लिए सदैव संभव नहीं है कि प्रत्येक लेन-देन की विस्तृत जांच जो दायर आपत्ति के विषय में घटित होनी हैं, की विस्तृत परीक्षा कर सके। ऐसे परिदृश्य में, ओएचए के वापस किए गए के निर्णय मामले को आगे के अवलोकन के लिए और आपत्तिकर्ता को उचित अवसर प्रदान करने के लिए सहज न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। नि.प्रा. को मामलों को वापस किए जाने का यह अभ्यास आपत्ति के मामलों को अंतिम रूप देने में अधिक विलंब का कारण बन रहा है।

ओएचए ने मामलों के पुनर्निर्धारण/पुनः जाँच के लिए ₹ 95.88 करोड़ की विवादित राशि से जुड़े 101 आपत्ति मामलों को सम्बन्धित वार्डों के नि.प्रा. को भेजा, यद्यपि, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग, व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण तथा गुणवत्ता के आधार पर अपने स्तर पर आपत्ति मामलों को निपटाने के लिए या आपत्ति मामलों को वापस करने के सम्बन्ध में डीवैट अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा पर विचार कर सकता है।

1.4.3 वापस किए गए आपत्ति के मामलों का अनुचित प्रबंधन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 'वापस किए गए मामलों का कमजोर प्रबंधन' पर पैरा 2.3.1 छापा गया। पैरा में नि.प्रा. द्वारा अधिकांश वापस किए गए आपत्ति मामलों के गैर निर्धारित मुद्दे तथा वापस किए गए आपत्ति के मामलों के समयबद्ध निपटान पर निगरानी के लिए

विभाग में कमजोर निगरानी और अकुशल आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि पर प्रकाश डाला था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति (जनवरी 2014) को स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों को बोध कराया है और वापस किए गए मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटान का निर्देश दिया गया है। यद्यपि, चार वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में ऐसी कमियाँ अभी भी कायम है जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

(क) वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान वापस किए गए 101 मामलों में से, संबंधित नि. प्रा. द्वारा 51 मामलों में निहित ₹ 27.65 करोड़ का मार्च 2018 तक पुनर्निधारण नहीं किया गया था।

इसलिए, ये मामले ओएचए द्वारा निर्धारण प्राधिकारियों को वापस किये जाने के बाद भी एक से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्धारण के लिए शेष थे।

(ख) इसके अतिरिक्त शेष 50 मामलों में से छः मामलों में यद्यपि पुनर्निधारण का आदेश निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये थे, व्यापारियों द्वारा ₹ 10.97 लाख की माँग मार्च 2018 तक जमा नहीं की गयी थी। माँग का भुगतान न किये जाने की सीमा अवधि 15 से 38 माह के बीच थी।

यह इंगित करता है कि वापस किए गए के मामलों पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा समय पर उनका तत्काल पुनर्मूल्यांकन करने, माँग उद्धृत करने पर आगे की कार्रवाई नहीं की गयी, ताकि सरकारी राजस्व की वसूली हो सके। यह उच्च प्राधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों की कमजोर निगरानी का भी संकेत देता है।

यह मामला सितम्बर 2018 में सरकार को सूचित किया गया, जिसका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

1.4.4 व्यापारियों को निर्धारण आदेश देने में विलंब

डीवैट नियमावली, 2005 में यह प्रावधान है कि जहां आयुक्त कर के बकाये का निर्धारण करता है, वह फार्म डीवैट-24 में आदेश दर्ज करेगा और निर्धारण का ऐसा नोटिस डीलर को दिया जायेगा जैसा कि डीवैट नियमावली के नियम 62 में निर्धारित है।

लेखापरीक्षा ने ज़ोन-3, 9 और 11 के 307 निर्णीत आपत्ति के मामले चयनित किये जो अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान ओएचए द्वारा निर्णीत किये गये थे। डीवैट प्रणाली में इन मामलों के विवरणों की जांच से पता चला कि 205 मामलों में, व्यापारियों को निर्धारण आदेश देने में विभाग ने 1 से 953 दिन लिये। यह पता चला कि 205 मामलों में से 153 मामलों में जिसमें ₹ 25.53 करोड़ की विवादित राशि शामिल थी, विलंब 30 दिनों से अधिक था। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण

आदेशों को देने में विलंब के परिणामस्वरूप व्यापारियों द्वारा ओएचए को आपत्ति दर्ज करने में बहुत विलंब हुआ, क्योंकि आपत्ति दर्ज करने के लिए दो माह की समय अवधि की गणना मूल्यांकन आदेश को देने की तारीख से की जाती है।

सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2018) कि 42 मामलों के संबंध में, परिपत्र दिनांक 17 जनवरी 2014 के अनुसार, नोटिस की ई-सेवा को दस्तावेजों की एक सेवा माना जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि ई-सेवा की तिथि को निर्धारण आदेश देने की तिथि के रूप में लिया गया है, तो इन मामलों को ओएचए द्वारा, जैसा कि आपत्ति दायर करने का दो माह का समय पहले ही बीत गया था, समय-सीमा से अधिक होने के कारण अस्वीकार कर देना चाहिए था। हालांकि, इन सभी आपत्ति के मामलों को स्वीकार कर लिया गया और बाद में ओएचए द्वारा निर्णय दे दिया गया। यह संकेत करता है कि व्यापारियों द्वारा उनकी आपत्तियों में उल्लिखित की गयी निर्धारण आदेश को देने की तिथि को ओएचए द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और निर्धारण आदेश की ई-सेवा की तारीख को विचार में नहीं लाया गया। बकाया 163 मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (जनवरी 2019)।

निर्धारण आदेश देने की देरी के परिणामस्वरुप राजस्व में अवरोध

विभाग, व्यापारियों द्वारा दावा किये गए विलंब के मुद्दे को हल करने के बारे में पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारण आदेशों को देने के बारे में निर्धारण प्राधिकारियों को पंजीकृत डाक या अन्य माध्यम द्वारा निर्धारण आदेशों को देने के बारे में उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

1.4.5 व्यापारियों द्वारा आपत्ति के मामलों को दर्ज करने में अनुचित विलंब

डीवैट अधिनियम, 2004 अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत किये गए निर्धारण से असंतुष्ट है, वह आयुक्त को ऐसे निर्धारण या आदेश या निर्णय के विरूद्ध आपत्ति कर सकता है। डीवैट अधिनियम बताता है कि आपत्ति निर्धारण आदेश या निर्णय को देने की तिथि से दो माह के भीतर की जायेगी। यह भी प्रावधान है कि जहाँ आयुक्त संतुष्ट है कि व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर आपत्ति दर्ज न करने के पर्याप्त कारण है, वह अगले दो माह की अवधि के भीतर आपत्ति स्वीकार कर सकता है।

डीवैट प्रणाली में उपलब्ध 307 निर्णीत आपत्ति के मामलों के विवरणों की जांच से पता चला कि 66 मामलों में ₹ 6.79 करोड़ राशि की आपत्तियां 60 दिनों के निर्धारित समय के बाद दायर की गयीं, विलंब एक से 544 दिन के बीच था। 48 मामलों में विलंब 100 दिन से अधिक था। 66 मामलों में से 53 मामलों में,

लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि 60 दिनों से अधिक के विलंब को ओएचए द्वारा विधिवत रूप से माफ किया गया।

यहां यह उल्लेखित करना उचित होगा कि इस तरह के विलम्ब का ओएचए द्वारा आपत्ति के मामलों को अंतिम रूप देने, उनके अंतिम निर्धारण आदेश और मांग की राशि की वसूली पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि, एक आपत्ति जो निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की जाती है, विलंब के कारणों को दर्शाते हुए एक विवरणी (डीवैट फार्म-39 में) आपत्ति के साथ देना होगा। उपरोक्त प्रावधान ओएचए को ऐसे विलंब के कारणों की स्वीकृति निर्धारित करने के बाद आपत्ति की अनुमति देने के लिए अधिकृत करता है। जवाब उपरोक्त मामलों में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दायर सभी सात मामलों में जो कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी, ओएचए द्वारा विलंब की क्षमादान के कोई दृष्टांत नहीं पाये गये।

विभाग व्यापारियों द्वारा आपत्तियों का निपटारा करते समय फाइल हुए मामलों में विलंब की माफी के कारण को दर्ज करने के लिए ओएचए को उचित दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

1.4.6 आपत्ति के मामलों को अंतिम रूप देने में विलंब

डीवैट अधिनियम, 2004 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि आपत्ति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर, आयुक्त या तो आपत्ति को पूरे या आंशिक रूप से स्वीकार करेगा या उसे मना कर देगा। बशर्ते कि जहाँ आयुक्त आपत्ति करने के तीन माह के भीतर व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करता है, वहां वह दो माह की आगे अवधि के लिए आपत्ति पर विचार करना जारी रख सकता है। व्यक्ति लिखित रूप से आयुक्त से, अपनी स्थिति की उचित तैयारी के लिए तीन माह तक की आपत्ति पर विचार करने में विलंब के लिए, अनुरोध कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,301 आपत्ति के चयनित मामलों में ₹ 1,733.94 करोड की माँग शामिल है (₹ 15 लाख से ऊपर 692 मामले और ₹ पाँच लाख से ₹ 15 लाख के बीच के 609 मामले), 31 मार्च 2018 तक ओएचए द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। विलंब की अवधि एक से तीन साल के बीच थी। अनिर्णीत मामलों का वर्ष-वार विवरण **तालिका-1.4.3** में दिया गया है।

तालिका-1.4.3: अनिर्णीत आपत्ति के मामलों का विवरण

वर्ष जिसमें आपत्ति दर्ज की गयी	मामलों की संख्या	माँग राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि
2014-15	294	825.28	3 वर्ष
2015-16	429	638.58	2 वर्ष
2016-17	578	270.08	1 वर्ष
कुल	**1,301**	**1,733.94**	

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग का डाटाबेस

आपत्ति के मामलों को निर्णीत करने में अत्याधिक विलंब से सरकारी राजस्व की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विभाग व्यापारियों द्वारा दर्ज किये गये आपत्ति के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए, समयबद्ध तरीके से, इस तरह के अनिर्णीत मामलों को कम करने के लिए, उचित कदम उठाने पर विचार कर सकता है।

1.4.7 ओएचए द्वारा माँग राशि को बरकरार रखे गये मामलों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

आपत्ति के निर्णीत 307 मामलों की जांच से पता चला कि 42 मामलों में ₹ 11.40 करोड़ की प्रारम्भिक माँग शामिल थी। ओएचए द्वारा लिए गये निर्णयों के फलस्वरूप माँग घटकर ₹ 7.12 करोड़ हो गयी। हालांकि, 42 में से 18 मामलों में ओएचए के निर्णयों के अनुसार ₹ 6.61 करोड़ की संशोधित माँग डिफाल्टिंग डीलर्स से वसूल नहीं की गई थी, जो कि विभाग में वसूली की निगरानी के लिए एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत दे रहा है। वसूल नहीं किये गये माँग के 18 मामले जो कि ओएचए द्वारा निर्धारित किए गए थे, का वर्ष-वार विवरण **तालिका-1.4.4** में दिया गया है।

तालिका-1.4.4 : वसूल नहीं किये गये माँग का वर्ष-वार विवरण

क्रम सं.	ओएचए का निर्णीत वर्ष	मामलो की संख्या
1	2014-15	04
2	2015-16	10
3	2016-17	04

1.4.8 निर्धारण करने में विलंब के कारण राजस्व की हानि

डीवैट अधिनियम निर्धारित करता है कि कोई भी निर्धारण या पुनर्निधारण आयुक्त द्वारा उस तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा, जिस तिथि को उस व्यक्ति ने रिटर्न प्रस्तुत की। बशर्ते कि जहाँ आयुक्त के पास यह मानने का कारण हो कि व्यक्ति की ओर से पूरी तरह से सामग्री के विवरण का खुलासा करने में

छिपाव, चूक या विफलता के कारण से कर का भुगतान नहीं किया गया, उक्त अवधि छः वर्ष के लिए विस्तारित हो जायेगी।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत किये गये अपील मामलों की जांच से पता चला कि विभाग ने दिसम्बर 2012 में (2008-09 की प्रथम तिमाही के लिए) और अक्तूबर 2013 में (वर्ष 2006-07 के लिए) दो मामलो[13] का निर्धारण चार वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद किया और ₹ 32.84 लाख की माँग को उद्धृत किया। ओएचए ने भी विभाग के पक्ष में मामलों का फैसला किया। हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने ओएचए के आदेशों को खारिज कर दिया और कहा कि ये मामले उन मामलों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, जो डीवैट अधिनियम में वर्णित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण चार वर्षों के बाद निर्धारित किये जा सकते हैं।

नि. प्रा. द्वारा निर्धारण में देरी के परिणामस्वरुप ₹ 32.84 लाख की हानि हुई क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण ने आदेशों को खारिज कर दिया।

इस प्रकार, यदि निर्धारण प्राधिकारियों ने इन मामलों का चार वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारण किया होता और माँग को उद्धृत किया होता तो, सरकार को ₹ 32.84 लाख के राजस्व की हानि से बचाया जा सकता था।

1.4.9 विभाग के पक्ष में निर्णीत अपील मामलों में गैर-वसूली

अपीलीय न्यायाधिकरण के अभिलेखों से पता चला कि 10 मामलों में जिनमें ₹ 1.33 करोड़ की राशि शामिल थी, न्यायाधिकरण ने विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था लेकिन दो व्यापारियों से केवल ₹ 20.73 लाख वसूले गये। यह सरकारी बकाया की वसूली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभाग में एक कमजोर निगरानी प्रणाली की ओर संकेत करता है।

यह मामला सरकार को सितम्बर 2018 में सूचित किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (जुलाई 2019)।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत किये गये अपील के मामलों के संबंध में समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए विभाग एक प्रभावी निगरानी प्रणाली रख सकता है।

1.4.10 कमजोर आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि

आंतरिक नियंत्रण वह सुरक्षा उपाय हैं जो संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन देने के लिए बनाये जाते हैं कि उनका संचालन बनाई गयी योजना के अनुसार कार्यरत हैं

[13] टिन-07970082437, वार्ड-92, 2008-09 की प्रथम तिमाही के लिए राशि-₹ 29,36,721, और टिन-07810294276, वार्ड-96, राशि-₹ 3,47,622, 2006-07.

और उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। हालांकि, यह देखा गया कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली कमजोर थी जोकि रिमांड बैंक आपत्ति मामलों के संबंध में अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, व्यापारियों को निर्धारण आदेश विलंब से देना, जैसी कमियों से स्पष्ट है। जिसके परिणामस्वरूप असन्तुष्ट व्यापारियों द्वारा आपत्तियों को दर्ज किए जाने में अतिरिक्त विलंब हो रहा था, और चार वर्ष की निर्धारित समयावधि के बाद निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया। इसके अतिरिक्त ओएचए और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णीत किये गये मामलों के संबंध में सरकारी बकाया की वसूली देखने के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं थी।

1.4.11 निष्कर्ष

निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या, अप्रैल 2014 में 20,689 से बढ़कर मार्च 2017 में 40,120 हो गई। यह दर्शाता है कि ओएचए द्वारा मामलों के निपटान की गति धीमी थी। ओएचए द्वारा आपत्ति के मामले निर्धारण प्राधिकारियों को रिमांड बैक किये गये, हालांकि, डीवैट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रिमांड बैक मामलों की निगरानी प्रणाली का अभाव था, क्योंकि या तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पुनःनिर्धारण नहीं किया गया या पुनःनिर्धारित माँग वसूली के लिए बकाया थी। व्यापारियों द्वारा आपत्ति दर्ज करने में लंबे समय के विलंब के कई मामले थे, जिनके लिए उन विलम्बों की माफी और स्वीकृति के लिए न्यायसंगत अभिलेख नहीं थे। 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान दर्ज किये गये 1,301 मामले जहाँ माँग ₹ पाँच लाख से अधिक थी, मार्च 2018 तक निपटान के लिए लंबित थे। ओएचए और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णीत की गई आपत्ति और अपील के मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इस रिपोर्ट में इंगित किए गए अवलोकन नमूना आधारित हैं। इसलिए विभाग जैसा कि रिपोर्ट में इंगित किया गया है इस तरह के मुद्दों को अन्य मामलों में देख सकता है और जहां भी देय हो, सरकारी राजस्व की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करे।

1.5 अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा

निर्धारण अधिकारी द्वारा रियायती कर के लिए निर्धारितियों की पात्रता को सुनिश्चित करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.20 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.19 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य व्यापार के दौरान, माल एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत जो कि उसकी टर्नओवर के दो प्रतिशत की दर से होगा या उस राज्य के बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत उस राज्य के भीतर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर लागू दर, जो भी कम हो, पर कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम, 2004 निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी विशेष विषय में असत्य, भ्रामक, धोखापूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करता है, वह ₹ दस हजार की राशि या कम कर की राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। किसी राशि के भुगतान करने में चूक के लिए ब्याज भी उद्ग्रहणीय होगा।

छः वार्डों[14] (जून 2017 तथा मई 2018) के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि 14 निर्धारकों[15] ने निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 (2014-15 तथा 2015-16 के दौरान निर्धारित) के लिए फार्म 2बी में ऑन-लाइन बिक्री विवरणी फाइल की, इन निर्धारितियों ने ₹ 47.79 करोड़ की अंतर-राज्यीय बिक्री की तथा इन बिक्रियों पर रियायती दर से 2 *प्रतिशत* कर का भुगतान किया। राजस्थान सरकार, वाणिज्य कर विभाग तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टीनएक्सेस) का ऑन-लाइन डाटा दर्शाता है कि निर्धारितियों से लेन-देन होने से पूर्व ही क्रय व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था। इस कारण निर्धारितियों की कर की दावित रियायती दर अनियमित थी तथा इन मामलों में 5 एवं 12.5 *प्रतिशत* का सामान्य कर लागू था। **इस प्रकार, रियायती दर के लिए निर्धारितियों की पात्रता को सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारियों की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.19 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.20 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.19 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।**

सरकार ने (अप्रैल से दिसम्बर 2018 के दौरान) कहा कि जहाँ उपयुक्त है वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा ₹ 3.62 करोड़ की अतिरिक्त माँग उद्घृत की

---

[14] वार्ड सं.: 5,27,38,62,201 और 207

[15] टिन सं.: 07620282304, 07510292307, 07720232876, 07290241600, 07270164884, 07750220977, 07860275285, 07330348666, 07490148952, 07590206515, 07220336941, 07500264425, 07720330943 और 07890176668

गई है। हालांकि, वार्ड 62 और 207 के उत्तर अभी भी सरकार से प्रतीक्षित थे (जुलाई 2019)।

1.6 राजस्व की गैर-प्राप्ति

डीवैट-16 रिटर्न में छूट बिक्री के रूप में ₹ 4.94 करोड़ की कर योग्य बिक्री के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 61.74 लाख के कर की गैर-प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 38.09 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यापारी इस अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर उसके द्वारा प्रभावित वस्तुओं की हर बिक्री पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम प्रावधान करता है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय किसी भी कर, जुर्माना या अन्य राशि का भुगतान करने में कोई चूक करता है, तो वह निर्धारित की गई राशि के अतिरिक्त, इस तरह की चूक की तारीख से, जब तक वह उस राशि के भुगतान में चूक जारी रखता है, तब तक समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर इस तरह की राशि पर साधारण ब्याज जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाये, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वार्ड-1 के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि निर्धारिती[16] ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए तिमाही रिटर्न (डीवैट-16) प्रस्तुत की थी और इसका निर्धारण जून 2015 में किया गया था। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही के लिए अपनी रिटर्न में छूट बिक्री के रूप में ₹ 4.94 करोड़ के टर्नओवर को दिखाया था। हालांकि, निर्धारिती ने जून 2017 में एक शपथ-पत्र जमा किया और घोषणा की कि निर्धारण वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही के लिए अपनी रिटर्न में 12.5 *प्रतिशत* की दर से कर योग्य वस्तुओं को गलती से छूट के रूप में दिखाया था। ₹ 61.74 लाख के कर (₹ 4.94 करोड़ की बिक्री पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से) के उदग्रहण की आवश्यकता थी परन्तु विभाग ने शपथ-पत्र पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.74 लाख के कर की गैर-प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 38.09 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

यह इंगित करने पर (नवम्बर, 2017) सरकार ने बताया (मई 2018) कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा निर्धारिती के प्रति ₹ 98.76 लाख (27 मार्च 2018) की माँग उद्धृत की गई है। इसके अतिरिक्त निर्धारिती ने ओएचए के समक्ष अतिरिक्त माँग के प्रति आपत्ति दर्ज की है (जून 2018)। ओएचए ने इस मामले को पुनः मूल्यांकन के लिए नि.प्रा. को भेज दिया (अगस्त 2018) जो कि अभी तक लंबित था (जुलाई 2019)।

---

[16] टिन सं.: 07510022162

1.7 माँग की गैर वसूली और परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 13.15 करोड़ की माँग वसूलने में विफल रहा, जिनके पंजीकरण रद्द कर दिये गये थे।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 प्रावधान करता है कि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश में निर्धारित तिथि के अन्दर निर्धारित किए गए अतिरिक्त कर और जुर्माने की राशि देय तथा भुगतान योग्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत कर की कोई राशि, ब्याज अथवा जुर्माना, संयोजन राशि अथवा अन्य देय राशि, जो देय तिथि के बाद भी भुगतान शेष है, डीवैट अधिनियम के अंतर्गत वसूली योग्य होगी। इसके बाद डीवैट अधिनियम निर्धारित करता है कि पंजीकरण को रद्द करने से ऐसे रद्द करने की तिथि पर किसी व्यक्ति की देयता को किसी भी अवधि के लिए देय कर के भुगतान करने तथा ऐसे रद्द करने की तिथि पर बकाया को प्रभावित नहीं करेगा या जिसका निर्धारण उसके बाद होने के बावजूद अन्यथा नहीं वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है। डीवैट अधिनियम के अंतर्गत किसी भी राशि के भुगतान करने में चूक के लिए ब्याज भी उद्ग्रहणीय होगा।

तीन वार्डों[17] के वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2013-14 के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि डीवैट अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच ₹ 10.86 करोड़ (कर ₹ 6.06 करोड़, ब्याज ₹ 3.14 करोड़ और जुर्माना ₹ 1.66 करोड़) की माँग सृजित करते हुए 12 व्यापारियों[18] का निर्धारण किया गया, यद्यपि विभाग द्वारा दिसम्बर 2010 तथा सितम्बर 2015 के दौरान उनके पंजीकरण पहले ही रद्द किये जा चुके थे। निर्धारितियों को निर्धारण नोटिसों में निर्धारित समय सीमा के अंदर माँग जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के अंदर, माँग न जमा किए जाने वाले मामलों में, विभाग को डीवैट अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कर वसूली के लिए आगे कार्रवाई शुरू करनी थी। **हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग के द्वारा निर्धारितियों के खिलाफ माँग की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।**

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने निर्धारण नोटिसों के जारी करने की तारीख से 25 महीनों से 38 महीनों के अंतराल के बाद वसूली प्रमाण पत्र/डिमांड रिट जारी किये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.15 करोड़ अर्थात् कर ₹ 6.06 करोड़, ब्याज ₹ 5.43 करोड़ (31 मई 2018 तक आकलन किए गए) और जुर्माना ₹ 1.66 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हुई।

---

[17] वार्ड सं.: 7,62 और 84.

[18] टिन सं.: 07510299000, 07930343292, 07200323954, 07220372928, 07240360113, 07950335036, 07760450328, 07520256848, 07060368845, 07410391108, 07590331742 और 07810426584.

सरकार ने कहा कि (मई/जुलाई 2018 के दौरान) वसूली प्रमाण पत्र/डिमांड रिट निर्धारितियों को जारी कर दिए गए हैं और डिमांड की वसूली की प्रक्रिया चल रही है।

1.8 वस्तुओं के गैर-वर्गीकरण के कारण राजस्व की गैर-प्राप्ति

डीवैट-16 रिटर्न में छूट बिक्री के रूप में ₹ 4.73 करोड़ की कर योग्य बिक्री के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 59.12 लाख के कर की गैर-प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 39.20 लाख का ब्याज और ₹ 59.12 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यापारी इस अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर उसके द्वारा प्रभावित वस्तुओं की हर बिक्री पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। इन अनुसूचियों के तहत् शामिल नहीं किए गए सभी वस्तुओं को अनिर्दिष्ट वस्तुओं के रूप में माना जाएगा और इसलिए अधिनियम की धारा 4 (ई) के अंतर्गत 12.50 *प्रतिशत* की दर से कर लगेगा। प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है जो किसी विशेष रूप से झूठी, गलत या भ्रामक है, उसे जुर्माने के रूप में दस हजार रूपये या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी राशि के भुगतान करने में चूक के लिए ब्याज भी उद्ग्रहणीय होगा।

वार्ड 5 के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि दो निर्धारितियों[19] ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए व्यापार एवं कर विभाग के साथ त्रैमासिक रिटर्न जमा की थी, जिसका निर्धारण सितम्बर 2014 में किया गया था। निर्धारिती ने माल के विवरण को रेक्सिन (बिक्री का 100 प्रतिशत वॉल्यूम) के रूप में प्रकट किया और अपने त्रैमासिक रिटर्न में छूट बिक्री (स्थानीय और अंतर-राज्यीय बिक्री) के रूप में ₹ 4.73 करोड़ का कारोबार दिखाया। **हालांकि, व्यापारिक वस्तु (रेक्सिन) अनुसूची-I छूट वाली वस्तुओं में निर्दिष्ट वस्तु सूची में नहीं थी, लेकिन 12.5 *प्रतिशत* की दर से अनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में सूचीबद्ध थी। इस प्रकार, नि.प्र. मूल्यांकन के समय निर्धारितियों की सही कर देयता का पता लगाने में असफल रहा।** इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.12 लाख (₹ 4.73 करोड़ पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से गणना करने पर) के कर की गैर-प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त ₹ 39.20 लाख का ब्याज और ₹ 59.12 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

[19] टिन सं.: 07030442436 और 07730442439

सरकार ने कहा (मई 2018) कि सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है और निर्धारितियों के प्रति ₹ 1.14 करोड़ की माँग उद्धृत की गई है। निर्धारितियों ने आपत्ति दर्ज की (दिसम्बर 2018) इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक लंबित था (जुलाई 2019)।

1.9 ब्याज की गैर-उगाही

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 71.68 लाख की अतिरिक्त माँग पर ब्याज न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 49.05 लाख के ब्याज की गैर-उगाही हुई।

दिल्ली मूल्यवर्धित कर (डीवैट), 2004 अधिनियम निर्धारित करता है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी कर, जुर्माना या अन्य राशि का भुगतान करने में कोई चूक करता है, तो वह निर्धारित की गई राशि के अतिरिक्त, इस तरह की चूक की तारीख से, जब तकw वह उस राशि के भुगतान में चूक जारी रखता है, 15 *प्रतिशत* के साधारण ब्याज के भुगतान करने के लिए उद्ग्रहणीय होगा।

वार्ड 32 के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि एक निर्धारिती[20] ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अपने तिमाही रिटर्न जमा किए थे और जिनका निर्धारण मार्च 2014 और जुलाई 2015 के बीच किया गया। निर्धारण आदेशों से पता चला कि डीवैट अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के मामले का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकरण ने रद्द करदाताओं से की गई खरीद के कारण ₹ 71.68 लाख के इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया में ₹ 71.68 लाख की अतिरिक्त कर माँग उद्धृत की। **हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ₹ 71.68 लाख की अतिरिक्त माँग पर ब्याज उद्धृत करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 22 जुलाई 2013 से 31 मई 2018 के बीच की अवधि के लिए ₹ 49.05 लाख की ब्याज की गैर-उगाही हुई।**

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और जुलाई 2018 में ₹ 52.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.24 करोड़ की अतिरिक्त माँग को संशोधित करते हुए मामले का पुनः निर्धारण किया। हालांकि, निर्धारिती ने ओएचए के समक्ष अतिरिक्त माँग के प्रति एक आपत्ति दायर की है जो कि अभी तक लंबित थी (जुलाई 2019)।

[20] टिन सं. 07060393289